न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः गोपाल सैनी(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 61/2026

सीआईएस नंबर 55/2026

1. भागसिंह मीना पुत्र पूरणलाल मीना उम्र 22 साल, निवासी ईटेड़ा पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक लक्ष्मणगढ जिला अलवर

जमानत आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 75/2026 थाना लक्ष्मणगढ, अपराध अन्तर्गत धारा 316(2),318(4) बीएनएस व धारा 66डी आई.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री घनश्याम सिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2. श्री अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से

–आदेश– **दिनांक : 17.03.2026**

1. इस आदेश के माध्यम से प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की नकल अभियोजन को दिलायी गयी। बहस प्रार्थना पत्र जमानत सुनी गयी।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.03.2026 को मोबाइल फोन 9257211458 से साईबर फ्रॉड की सूचना प्राप्त होने पर एसएचओ नेकीराम थाना लक्ष्मणगढ मय जाब्ता रवाना होकर मुताबिक लोकेशन गांव ईटेड़ा पहुंचा, जहां लोकेशन पर बने मकान पर उपस्थित व्यक्ति श्री भागसिंह मीना को साईबर अपराध मं संलिप्त मोबाइल नं. 9257211458 की तलाशी बाबत नियमानुसार नोटिस दिया जाकर तलाशी करनी चाही तो उक्त शख्स भागसिंह के पास दो मोबाइल फोन मिले जिनको चैक किया तो एक मोबाइल फोन वीवो कंपनी जिसमें एक एयरटेल कंपनी का सिम कार्ड नं. 9257211458 लगा हुआ तथा मोबाइल में दो वाट्सएप एकाउन्ट जिनमें एक होटल सिगुलपुरी नाम से मो.नं. 9257410139 से संचालित है। इस फोन के दोनों वाट्सएप से चैट कर कई लोगों से होटल का कमरा सस्ते दामों में बुकिंग करने का झासा देने की बाबत चैट की हुई है और बुकिंग बाबत एडवान्स राशि प्राप्त करने की चैट की हुई है। दूसरा फोन ओपो कंपनी जिसमें सिम कार्ड नहीं है। फोन

में एक वाट्सएप एकाउन्ट रॉयल मीना से व मो.नं. 8949067709 से संचालित है। भागसिंह मीना से जप्त मो.नं. 9257211458 के विरूद्ध साईबर पोर्टल 1930 पर शिकायत दर्ज है। उक्त शिकायत पीड़ित व्यक्ति प्रदीप जोरदार द्वारा दर्ज करवाई हुई है। शख्स भागसिंह ने पूछताछ पर बताया कि मो.नं. 9257211458 सन्नी जाटव निवासी ईटेड़ा से 2000 रू. में खरीदना व साईबर फ्रॉड से अर्जित पैसा दीपक मीना निवासी हाजीपुर द्वारा बताये गये खातों में डालना बताया। इस तरह अभियुक्त द्वारा ऑन लाईन ठगी कर रूपए ऐंठना धारा 318(4),316(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट के वकु में आना पाये जाने पर दोनों मोबाइल फोनों को जरिए फर्द जप्त किया गया व अभियुक्त को गिरफतार किया ..... इत्यादि पर एफआईआर संख्या 75/2026 दर्ज कर प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

3. दौराने बहस प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष हैं, उसके विरूद्ध उक्त मुकदमा पुलिस ने झूठा दर्ज कर प्रार्थी को बेजा रूप से फसाया है, जबकि प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही उससे कोई बरामदगी हुई है। अभियुक्त के विरूद्ध किसी भी प्रकार से उक्त केस साबित नहीं है तथा न ही कोई स्वतंत्र साक्ष्य है। प्रार्थी 21–22 साल का पढ़ने वाला छात्र है जो बीएससी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, जिनके जेल में रहने से उसका भविष्य खराब हो रहा है। प्रार्थी से प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है, कोई बरामदगी व अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है तथा दिनांक 03.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुये अपराध की गंभीरता एवं वर्तमान में इस न्यायक्षेत्र में दिनोंदिन बढ़ रहे ऑन लाईन साईबर क्राईम को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में धारा 316(2), 318(4) बीएनएस व धारा 66डी आई.टी.एक्ट के गंभीर प्रकृति के अपराधों को कारित किये जाने का अभियोग है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से दो एन्ड्रोएड मोबाइल फोन जप्त किये गये हैं जिनमें एक फोन वीवो कंपनी का जिसमें एक एयरटेल कंपनी का सिम कार्ड नं. 9257211458 लगा हुआ तथा मोबाइल में दो वाट्सएप एकाउन्ट जिनमें एक होटल सिगुलपुरी नाम से मो.नं. 9257410139 से संचालित है तथा फोन के दोनों वाट्सएप से चैट कर कई लोगों से होटल का कमरा सस्ते दामों में बुकिंग करने का झासा देने की बाबत चैट की हुई है और बुकिंग बाबत एडवान्स राशि प्राप्त करने की चैट की

हुई है। यद्यपि जप्त मो.नं. 9257211458 के विरूद्ध साईबर पोर्टल 1930 पर शिकायत दर्ज है, किन्तु उक्त शिकायत पीड़ित व्यक्ति प्रदीप जोरदार से अभियुक्त द्वारा केवल मात्र 3500 रूपए की ठगी किया जाना ही दर्शित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के साथ कोई साईबर ठगी किये जाने की साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही उसके विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना अंकित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का बीएससी प्रथम वर्ष में अध्ययनरत होना केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है तथा प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है एवं अभियुक्त से प्रकरण में कोई बरामदगी व अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है तथा लगभग 15 दिवस से न्यायिक अभिरक्षा में है एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त भागचन्द मीना पुत्र पूरणलाल मीना उम्र 22 साल, निवासी ईटेड़ा पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से 25–25 हजार रूपए की दो जमानतें एवं 50 हजार रूपए की राशि का स्वयं का मुचलका अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद एवं विचारण न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने बाबत प्रस्तुत कर सत्यापित करा दिये जावें तो इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे।

(गोपाल सैनी)

7. आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल सैनी)